राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 7 जनवरी, 1986

क्रमांक 1495-ज(I)-85/725.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्री दया चन्द, पुत्र श्री सीस राम, गांव रभडा, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, को रबी, 1973 से खरीफ़, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

दिनांक 8 जनवरी, 1986

क्रमांक 1510-ज(I)-85/840.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्रीमती गुरमेज कौर, विधवा श्री उज्जागर सिंह, गांव खरकरा, तहसील गुहला, जिला कुरुक्षेत्र, को रबी, 1973 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर, सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक 1561-ज(I)-85/844.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल, श्री चन्दन सिंह, पुत्र श्री उदमी राम, गांव सकना रूखी, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, को रबी 1973, से खरीफ़, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर, सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते है।

क्रमांक 1494-ज(I)-85/848.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा की उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1)(ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्रीमती ज्वाला देवी, विधवा श्री लीलाधर, गांव बरोदा मोर, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, को रबी, 1973 से खरीफ़, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर, सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक 1497-ज(2)-85/883.—श्री ज्ञानी राम, पुत्र श्री दई राम, गांव गिरावड़, तहसील महम, जिला रोहतक की दिनांक 2 मई, 1985 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री ज्ञानी राम की मुद्दिलग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 853-ज-(2)-76/15952, दिनांक 17 मई, 1976, तथा 1789-जे(1)-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती छन्नों देवी के नाम खरीफ, 1985 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

दिनांक 14 जनवरी, 1986

क्रमांक 1352-ज-(I)-85/1174.—श्री फूल सिंह पुत्र श्री राम चन्द, गांव तिहाड़, तहसील सोनीपत, जिला सोनीपत, की दिनांक 15 मई, 1978 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री फूल सिंह की मुद्दिलग 150 रुपये वार्षिक की जागीर, जो उसे पंजाब सरकार की अधिसूचना क्रमांक 20534-जे-एन-(III)-66/21534, दिनांक 24 अक्तूबर, 1966 तथा 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती के पनमेश्वरी देवी के नाम खरीफ़, 1978 से खरीफ़, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से, सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।